न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, करेडा जिला–भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–23 / 2021 प्रार्थना पत्र

श्री हिम्मतलाल पुत्र देवीलाल खटीक उम्र वयस्क निवासी मोटा का खेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) ––प्रार्थी।

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार करेडा जिला भीलवाडा (राज0) ––विपक्षी।

उपस्थितः–

1–श्री रोशनलाल रेगर – ––अधिवक्ता प्रार्थी।

2–राज0राज्य जरिये तहसीलदार करेड़ा– ––पेरोकार सरकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय :: दिनांक 16 / 02 / 2021

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि सरहद दंतेड़ी पटवार हल्का धुंवाला (क) अभिलेख निरीक्षक गोरख्या तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा में खाता सं. 229 में आ0नं0 1291 / 87 रकबा 2.00बीघा, आ0नं0 1292 / 87 रकबा 2.00 बीघा भूमि राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में प्रार्थी के नाम खातेदारी हक से दर्ज है जिस पर प्रार्थी काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। प्रार्थी के नाम दर्ज आ0नं0 1291 / 87 रकबा 2.00 बीघा एवं आ0नं0 1292 / 87 रकबा 2.00 बीघा भूमि को राजस्व जमाबंदी के ऑन लाईन कम्प्यूटराईज में सही तरीक से दर्ज किया गया किन्तु उक्त आराजियात के राजस्व नक्शें को ऑन लाईन कम्प्यूटराईज करते वक्त उक्त आराजी को आ0नं0 1290 / 87 एवं 1208 / 87 की दक्षिणी दिशा में त्रुटिपूर्वक तरमीम कर ऑन लाईन कर दी गई जबकि प्रार्थी की उक्त आराजियात आ0नं0 86 गै.मु.पक्की सड़क धुंवाला से दंतेड़ी जाने वाली के दक्षिण दिशा में सटमा थी उसी अनुसार पटवारी हल्का के पास राजस्व नक्शे में पक्की सड़क धुंवाला से दंतेड़ी जाने वाली के दक्षिण दिशा में सटमा तरमीम है जबकि गलती एवं त्रुटि से ऑन लाईन राजस्व नक्शें में प्रार्थी की आराजियात को आ0नं0 1290 / 87 एवं 1208 / 87 की दक्षिणी दिशा में तरमीम कर दी गयी जिसे दुरुस्त कराया जाने का आदेश प्रदान करावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2021.03.26 16:13:40 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को तलब किया गया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ जमाबंदी की प्रमाणित प्रति, नक्शा ट्रेश की प्रति एवं ऑन लाईन नक्शा ट्रेश की प्रति प्रस्तुत की। प्रकरण में तहसीलदार करेड़ा ने राज्य की ओर

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

से जवाब मय मौका जांच कर रिपोर्ट व प्रस्तावित नक्शा ट्रेश प्रति तथा ऑन लाईन नक्शा की प्रतियां प्रस्तुत किया जो पत्रावली के साथ शामिल फायल किया गया।

प्रकरण में वकील प्रार्थी की बहस समायत की गयी। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो एवं तहसीलदार करेड़ा के जवाब एवं मौका जांच रिपोर्ट, प्रस्तावित नक्शा ट्रेश तथा ऑन लाईन नक्शे की प्रतियों का अवलोकन किया जाने पर पाया कि प्रार्थी की ग्राम दंतेड़ी में स्थित आ0नं0 1291/87 रकबा 2.00 बीघा एवं आ0नं0 1292/87 रकबा 2.00 वीघा भूमि का राजस्व नक्शे के मुकावले ऑन लाईन कम्प्यूटराईज नक्शें में सहवन से आ0नं0 1290/87 एवं 1208/87 की दक्षिणी दिशा में त्रुटिपूर्वक तरमीम किये जाने से राजस्व नक्शे में दुरूस्ती किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अतएव

:: आदेश ::

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी के नाम दर्ज ग्राम दंतेड़ी पटवार हल्का धुंवाला (क) तहसील करेडा की आ0नं0 1291/87 रकबा 2.00बीघा एवं आ0नं0 1292/87 रकबा 2.00 वीघा भूमि की ऑन लाईन कम्प्यूटराईज के दौरान त्रुटिवश गलत तरमीम को तहसीलदार करेड़ा के द्वारा प्रस्तुत पर्चा मौका एवं नक्शा ट्रेश अनुसार राजस्व नक्शें में तरमीम दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार तहसीलदार करेड़ा राजस्व रेकार्ड नक्शे में दुरूस्ती करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम की जावे।

निर्णय सरे ईजलाश सुनाया गया।

(महीपाल सिंह)
आरएएस
उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2021.03.26 16:13:40 IST
Reason: SelfAttested